सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/ATY-3538/1434RJ/2/2026-RU-I

दिनांक: 30.07.2026

जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी,
जिला-जयपुर,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
जयपुर, राजस्थान- 302001
ई-मेल: dm-jaip-rj@nic.in

पुलिस आयुक्त, जयपुर,
पुलिस आयुक्त कार्यालय,
सरदार पटेल रोड, पत्रकार कॉलोनी,
सी स्कीम, अशोक नगर,
जयपुर, राजस्थान- 302001
ई-मेल: cp.jaipur@rajpolice.gov.in

विषय: नीरजा मोदी स्कूल, मानसरोवर, जयपुर के विद्यालय प्रबन्धन की प्रताड़ना से पीड़ित अनुसूचित जनजाति की बालिका द्वारा विद्यालय भवन के चतुर्थ तल से कूद कर आत्महत्या करने के संदर्भ में श्री विजय कुमार मीणा एवं श्रीमती शिवनी देव निवासी मकान संख्या - 08, आजाद पथ, सिन्धु नगर, मुरलीपुरा, जयपुर - 302039 का अभ्यावेदन दिनांक 26/12/2025 के संदर्भ में।

संदर्भ: (i) आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.06.2026 एवं (ii) पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), जयपुर का पत्र दिनांक 04.07.2026 (प्रतियाँ संलग्न)।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 20.08.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. आयोग द्वारा प्रस्तुत आख्या का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के बावजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, जिसे आयोग प्रथम दृष्टया संतोषजनक नहीं मानता। अतः आयोग संबंधित प्राधिकारी को पुरजोर अनुशंसा करता है कि प्रकरण के समस्त तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की प्रयोज्यता का पुनः परीक्षण कर आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई पर विचार किया जाए। आयोग यह अपेक्षा करता है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई तथा उसके आधार सहित विस्तृत तथ्यात्मक आख्या एवं समस्त संगत अभिलेखों के साथ दिनांक 20.08.2026 को माननीय अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आयोग को अवगत कराया जाएगा।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री विजय कुमार मीणा
निवासी मकान संख्या - 08, आजाद पथ,
सिन्धु नगर, मुरलीपुरा,
जयपुर – 302039, राजस्थान
deepalidev@yahoo.com
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

श्रीमती शिवनी देव,
निवासी मकान संख्या - 08, आजाद पथ,
सिन्धु नगर, मुरलीपुरा,
जयपुर – 302039, राजस्थान
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।